जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 68/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

06–02–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 31.12.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से जिस प्रकार से सूचनाएं चाही गयी थी वह उनके द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 31.12.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

1. आपके पत्रांक 3079 दिनांक 16.12.2015 में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. प्रार्थना पत्र के आरआर नम्बर की सूचना व दिनांक की सूचना।
4. प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी व कर्मचारी का नाम व पद की सूचना।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 1060 दिनांक 04.05.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र सं0 5608 दिनांक 31.12.2015 से चाही गई चार बिन्दुओ की सूचना तैयार कर उनके कार्यालय के पत्र सं0 157 दिनांक 15.01.2016 के द्वारा रजि0 एडी से प्रेषित कर दी गई थी इस सन्दर्भ में आवेदक ने अपने प्रा0 पत्र सं0 5703 दिनांक 19.01.2016 के द्वारा पुनः 2 बिन्दुओ पर सूचना चाहे जाने पर पत्र सं0 285 दिनांक 02.02.2016 के द्वारा भिजवाई जा चुकी है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र संख्या 157 दिनांक 15.01.16 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

क. सं.	चाही गई सूचना	जवाब
1	आपके पत्रांक 3079 दिनांक 16.12.2015 में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।	आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का उत्तर इस कार्यालय के पत्र 3079 दिनांक 16.12.2015 द्वारा दिया जा चुका है। अतः कोई सूचना दिया जाना अपेक्षित नही है।
2	प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि	प्रमाणित प्रति हेतु 2 पृष्ठो का शुल्क 2/–रूपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से रूपये 4/–रूपये जमा कराये।
3	प्रार्थना पत्र के आरआर नम्बर की सूचना व दिनांक की सूचना।	आर आर नम्बर 2637 दिनांक 10.12.2015 व आरटी नम्बर 352 दिनांक 11.12.2015
4	प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी व कर्मचारी का नाम व पद की सूचना।	सूचना दिया जाना अपेक्षित नही है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

PTO

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई 4 बिन्दुओ की सूचना का बिन्दुवार उत्तर दिया जा चुका है। बिन्दु सं0 1 से 3 की सूचना दी जा चुकी है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। बिन्दु सं0 2 की 2 पृष्ठो की सूचना के लिए 2रूपये प्रति पृष्ट के हिसाब से 4रूपये जमा करवाकर लेनी चाहिए। अब भी राशि जमा करवाकर नियमानुसार प्राप्त कर सकता है। बिन्दु सं0 4 की सूचना देय है अथवा नही? अगर देय है तो नियमानुसार देनी चाहिए अन्यथा उसे स्पष्ट रूप से खारिज करना चाहिए।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी को हिदायत की जाती है कि उक्त विवेचन को ध्यान में रखकर बिन्दु सं0 4 की सूचना के बारे में पुनः निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 06.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर